राजस्थान सरकार
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल,बी ब्लाक, योजना भवन सी–स्कीम जयपुर, दुरभाष–2226175 फैक्स.– 5104014)

प. 1(66)ग्रा.वि. / डीपीआईपी / पीए / 2003 जयपुर, दिनांक 25.03.2006

जिला परियोजना प्रबन्धक,
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई,
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना,
बारां / चूरू / दौसा / झालावाड़ / धौलपुर / राजसमन्द / टोंक।

विषय : समान रूचि समूहों के सदस्यों को ग्रुप कोष से आन्तरिक ऋण के सम्बन्ध में
संदर्भ : राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का परिपत्र कमांक प.1(66)ग्रावि / डीपीआईपी / पीए / 2002 दिनांक 6.11.2002 एवं प.3(9)ग्रावि / डीपीआईपी / पीए / 2004 दिनांक 14.12.2004 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के कम में लेख है डेयरी एवं भेड़ / बकरी के समान रूचि समूहों में सदस्यों द्वारा संचित ग्रुप कोष के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां परियोजनान्तर्गत दृष्टिगोचर हुई हैं ।

परिपत्र कमांक प.1(66)ग्रावि / डीपीआईपी / पीए / 2002 दिनांक 6.11.2002 (प्रति संलग्न) के अनुसार ग्रुप कोष को समान रूचि समूह के बचत खाते में जमा कराया जाना था एवं सदस्यों को दिये जाने वाले ऋण के लेखे हेतु समान रूचि समूह द्वारा सदस्यवार उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 6.11.2002 के साथ संलग्न प्रारूप –1 के अनुसार ऋण खाता रखा जाना था। परिपत्र में यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि इस ग्रुप कोष की राशि को सदस्यों को आन्तरिक ऋण देने के लिये उपयोग किया जावे एवं इसका कितना ब्याज लिया जाना है भी दर्शाया गया था । इसके साथ 100 रू. पर क्या ब्याज आयेगा की टेबल भी संलग्न की गई थी ।

चूरू जिले में ग्रुप कोष का अलग से बैंक खाता खोला गया है एवं ग्रुप कोष से समूह सदस्यों को आन्तरिक ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। डीपीआईपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 27.02.06 को हुई सातवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना में यह स्पष्ट किया जाता है कि समान रूचि समूह के सदस्य को डेयरी एवं भेड़ / बकरी उप परियोजना में वर्णित ग्रुप कोष से सदस्यों को द्वितीय पशु के लिये लाभार्थी अंशदान एवं अन्य कार्य के लिये आन्तरिक ऋण प्रदान किया जा सकता है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पं रा., जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, जयपुर ।
3. नोडल अधिकारी, आरसीडीएफ, मिल्क यूनियन ।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, (डेयरी) ।

महाप्रबन्धक परियोजना आंकलन